खान और खनिज

(विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन (2015-2021)

खनिज उत्पादन और रोज़गार सृजन के लिए व्यापक प्रोत्साहन

एक सशक्त खनन और खनिज क्षेत्र के बिना आत्मनिर्भरता संभव नहीं है क्योंकि खनिज और खनन हमारी अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं।

-प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

अध्याय

पृष्ठभूमि.....
1. एक नये युग की शुरूआत..... 03
2. सतत खनन उत्पादन..... 06
3. खनन सुधारों को प्रोत्साहित करना..... 09
4. संशोधन, 2021 की मुख्य विशेषताएं..... 10
5. संशोधनों का प्रभाव..... 13
6. हितधारकों (स्टेकहोल्डरों) द्वारा प्रशंसा..... 21
7. मीडिया कवरेज..... 25

पृष्ठभूमि

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 भारत में खनन क्षेत्र को विनियमित करता है और खनन प्रचालनों के लिए पट्टे प्रदान करने की आवश्यकता को अनिवार्य बनाता है।

2015 से पहले, खनिज संसाधन 'पहले आओ पहले पाओ' पद्धति के माध्यम से प्रदान किए जाते थे। खनिज रियायत के आवंटन की यह प्रणाली स्वनिर्णय पर आधारित थी और निर्णय करने की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी। खनन पट्टों के नवीनीकरण की प्रक्रिया खनन क्षेत्र में बडे पैमाने पर निवेश को आकर्षित करने में एक बाधा के रूप में कार्य कर रही थी। खनिज रियायत के आवंटन से सरकार को रायल्टी के अतिरिक्त कोई राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा था।

परिणामत: नई रियायतें देने और मौजूदा रियायतों के नवीनीकरण में कमी आई। परिणामस्वरूप, खनन क्षेत्र ने डाउनस्ट्रीम विनिर्माण क्षेत्र, जो काफी हद तक खनन क्षेत्र द्वारा प्रदान किये गए कच्चे माल पर निर्भर करता है, को प्रभावित करते हुए उत्पादन में गिरावट दर्ज करना शुरू कर दिया।

सरकार ने 2015 से खनन क्षेत्र में कई बड़े सुधार किए हैं।

खनिज क्षेत्र में कई सुधार करने लिए वर्ष 2015 में अधिनियम में व्यापक रूप से संशोधन किया गया था, जिसमें विशेष रूप से निम्नलिखित शामिल हैं:

- पारदर्शिता में सुधार लाने के लिए खनिज रियायतों की नीलामी को अनिवार्य बनाना;
- जिला खनिज फाउंडेशन और राष्ट्रीय खनिज गवेषण न्यास की स्थापना; और
- अवैध खनन के लिए कड़े प्रावधान।

(हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की राजपुरा दरीबा खान, राजसमंद)

गैर-नीलाम कैप्टिव खानों के पट्टों के अंतरण की अनुमति प्रदान करने और 31 मार्च, 2020 को पट्टों की समाप्ति की उभरती समस्या से निपटने के लिए अधिनियम में क्रमश : वर्ष 2016 और वर्ष 2020 में और संशोधन किए गए।

इसके अतिरिक्त, अगले पांच वर्षों में भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनाने और रोजगार संभावना को दोगुना करने के लिए, खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 को अधिनियमित किया गया है।

अध्याय-1

एक नये युग की शुरुआत

खनन क्षेत्र की मूलभूत संरचनात्मक कमियों को दूर करने और व्यापार करने को अधिक सुगम बनाने (ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस) के लिए, 12 जनवरी, 2015 को खान और खनिज (विकास और विनियमन) (एमएमडीआर) संशोधन अध्यादेश, 2015 को प्रख्यापित किया गया था, जिसके स्थान पर एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2015 को लाया गया।

एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2015- पहल

- खनिज संपदा के आबंटनों की पारदर्शी पद्धति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, खनिज रियायत प्रदान करने के लिए ई-नीलामी को अनिवार्य बनाया गया।
- व्यापार करना सुगम बनाने (ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस) और स्वनिर्णयों को समाप्त करने के लिए, नवीकरणों और पूर्व अनुमोदनों की आवश्यकता को हटाया गया।
- खनन कंपनियों से प्राप्त अंशदानों का प्रयोग कर खनन प्रभावित क्षेत्रों के कल्याण के लिए जिला खनिज फाउंडेशन स्थापित करने का प्रावधान किया गया।
- देश में क्षेत्रीय और व्यापक खनिज गवेषण के लिए राष्ट्रीय खनिज गवेषण न्यास की स्थापना की गई।

- अवैध खनन गतिविधियों को समाप्त करने के लिए दण्डात्मक प्रावधानों को और अधिक कठोर बनाया गया जैसे प्रति हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 5 लाख रूपए तक का अधिकतम जुर्माना और 5 वर्षों तक का कारावास। इसके अतिरिक्त, अवैध खनन के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए राज्य सरकारों द्वारा विशेष न्यायालयों के गठन का प्रावधान किया गया।

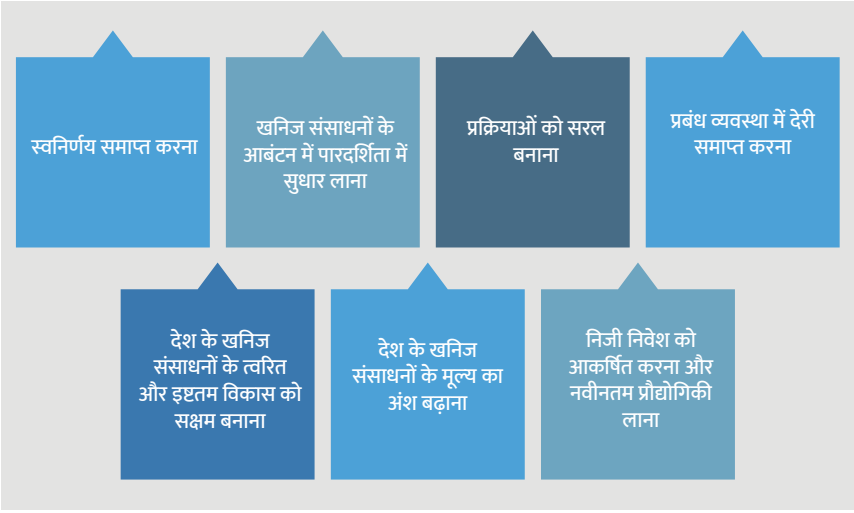

> जिला खनिज निधि की स्थापना यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए पैसे की कोई कमी न हो। इसके पीछे विचार यह है कि जनजातीय क्षेत्रों से निकलने वाली संपदा के एक हिस्सा का निवेश उसी क्षेत्र में किया जाए।
>
> - प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

एमएमडीआर अधिनियम को एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2016 के माध्यम से आगे और संशोधित किया गया था ताकि वैध व्यावसायिक लेनदेन की सुविधा के लिए नीलामी के अलावा अन्य प्रदत्त कैप्टिव खनन पट्टों के अंतरण का प्रावधान किया जा सके। इसके दायरे को बढ़ाने के लिए, इस संशोधन ने 'पट्टा क्षेत्र' को पुनर्परिभाषित भी किया।

अध्याय-2

सतत खनिज उत्पादन

खनिज कानून संशोधन अधिनियम, 2020

देश में सतत खनिज उत्पादन को बनाए रखने के लिए एमएमडीआर अधिनियम, 1957 को खनिज कानून (संशोधन) अधिनियम, 2020 के माध्यम से संशोधित किया गया है। यह इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए किया गया था कि एमएमडीआर अधिनियम के प्रावधानों के तहत मार्च, 2020 में बड़ी संख्या में कार्यरत खनन पट्टे समाप्त होने जा रहे थे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश में खनिज उपलब्धता की कोई कमी नहीं है, यह संशोधन एक महत्वपूर्ण कदम था। इसने कोयला, लिग्नाइट और आणविक खनिजों से भिन्न खनिजों के मामले में एक नए पट्टाधारक को दो वर्षों की अवधि के लिए सभी वैध अधिकारों, अनुमोदनों, मंजूरियों, अनुज्ञप्तियों इत्यादि के निर्बाध अंतरणों की सुविधा प्रदान की।

2020 में, 334 खानों के खनन पट्टे 31 मार्च को समाप्त हो रहे थे, जिनमें से 46 गैर-कैप्टिव खदानें काम कर रही थीं। जबकि कुछ राज्यों ने इन ब्लॉकों की नीलामी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी, नीलामी के माध्यम से आवंटित खानें विभिन्न सरकारी एजेंसियों से तेईस मंजूरी प्राप्त करने के बाद ही खनन कार्य शुरू कर सकती थीं। इसके कारण खनन कार्यों के प्रारंभ होने और खनिजों के अनुवर्ती उत्पादन में विलंब हो रहा था। खनिजों की सतत आपूर्ति को बनाए रखने के लिए खनिज कानून संशोधन अधिनियम, 2020 के माध्यम से अधिनियम में और संशोधन किया गया।

खनिज कानून (संशोधन) अधिनियम, 2020 की मुख्य विशेषताएं

क. नीलामी के लिए अग्रिम कार्रवाई

पहले, सरकार के पास पट्टावधि की समाप्ति से पूर्व खनन पट्टे की नीलामी प्रक्रिया आरंभ करने का कोई अधिकार नहीं था।

खनन गतिविधियों में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, इस अधिनियम ने राज्य सरकारों को खनन पट्टे की समाप्ति से पूर्व इसकी नीलामी करने का अधिकार दिया ।

ख. नए बोलीदाताओं को वैधानिक मंजूरियों का अंतरण

संशोधन अधिनियम में अब यह प्रावधान किया गया है कि पिछली बोली लगाने वाले को दिए गए अनुमोदनों, अनुज्ञप्तियों और मंजूरियों को, नीलामी में सफल बोलीदाता को दो साल के

लिए दिया जाएगा। इन दो वर्षों के दौरान, नया पट्टेदार खनन गतिविधियों को जारी रख सकता है, लेकिन उसको इन दो वर्षों के भीतर सभी अनुमोदन और वैधानिक मंजूरी प्राप्त करनी होगी।

अध्याय-3

खनन सुधारों को प्रोत्साहित करना संशोधन-2021 के कारण

खनन क्षेत्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 1.1 करोड़ लोगों को रोजगार देता है और लगभग 5.5 करोड़ लोगों की आजीविका का निर्वाह करता है। यदि अगले पांच वर्षों की अवधि में रोजगार क्षमता को दोगुना कर दिया जाता है तो इस क्षेत्र का लाभ 10 करोड़ लोगों तक पहुंच सकता है। वित्त वर्ष (एफवाई) 2018-19 में, अनुमान है कि खनन ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 4.10 लाख करोड़ रुपये का योगदान किया। वित्त वर्ष 24-25 तक खनन के योगदान को दोगुना करके 8 लाख करोड़ रुपये करने का लक्ष्य है।

इस संशोधन का उद्देश्य 5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर वाली आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनना है।

अध्याय-4

संशोधन-2021 की मुख्य विशेषताएं

एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2021

1. खनिज उत्पादन को तत्काल बढ़ावा देकर खनिज क्षेत्र को अधिक सुदृढ़ बनाना।

- कैप्टिव और मर्चेंट खानों के बीच के अंतर को समाप्त करना। यह सभी कैप्टिव खानों को संलग्न संयंत्र की आवश्यकता को पूरा करने के बाद वर्ष के दौरान उत्पादित खनिजों के 50% तक बेचने की अनुमति देता है। भविष्य की सभी नीलामियां बिना किसी अंतिम-उपयोग प्रतिबंधों की होंगी।
- धारा 10क(2)(ख) के तहत लंबित मामलों को नई नीलामी व्यवस्था के अंतर्गत लाकर हल करना। सनसेट क्लॉज के अभाव में अधिनियम की धारा 10क(2)(ख) के तहत लगभग 500 मामले लंबित थे।

- 'खनन प्रचालनों' के स्थान पर 'उत्पादन और प्रेषण' को रखना। चूंकि खनन प्रचालन शब्द की व्याख्या व्यापक है इसलिए गैर-उत्पादक पट्टों को रद्द करना कठिन था।
- सरकारी कंपनियों के गैर-उत्पादक ब्लॉकों का पुन: आवंटन क्योंकि सरकारी कंपनियों के लिए आरक्षित कई खनन ब्लॉकों में कई वर्षों से उत्पादन नहीं किया गया है।

2. व्यापार में सुगमता (ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस) को बढ़ावा देना।

- समाप्त हो चुके खनन पट्टों की वैधानिक मंजूरी की वैधता खनन पट्टे की समाप्ति या रद्द किए जाने के बाद भी जारी रहेगी और उसे खान के अगले पट्टाधारक को हस्तांतरित किया जाएगा। यह पट्टाधारक बदलने के बावजूद खनन कार्यों और उत्पादन में निरंतरता सुनिश्चित करेगा।
- बिना किसी शुल्क के सभी खनिज रियायतों के हस्तांतरण की अनुमति।
- धारा 21 में स्पष्टीकरण अंतर्विष्ट कर 'बिना वैध प्राधिकार के' वाक्यांश के दायरे को स्पष्ट किया गया है, अब खनिज पट्टेधारी को केवल पूर्वेक्षण लाइसेंस, खनन पट्टे या संयुक्त लाइसेंस के बिना किसी भी खनिज को निकालने, ढ़ोने अथवा निकलवाने या ढुलवाने के लिए इस धारा के तहत या धारा 23ग के तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने पर ही दंडित किया जा सकता है।

3. अन्य संरचनात्मक सुधार।

- केंद्र सरकार डीएमएफ द्वारा निधियों के संयोजन और उपयोग के संबंध में निर्देश जारी कर सकती है।
- केंद्र सरकार को राज्य सरकार के परामर्श से उन मामलों में नीलामी करने का अधिकार दिया गया है जहां राज्य नीलामी करने में कठिनाई का सामना करते हैं या निर्धारित समय में नीलामी करने में विफल रहते हैं।

संशोधन का प्रभाव

क. 2015 के संशोधन का प्रभाव

- खनन पट्टे की ई-नीलामी शुरू करने से पारदर्शिता आई और राज्यों को प्रीमियम के रूप में रॉयल्टी से अधिक अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ।

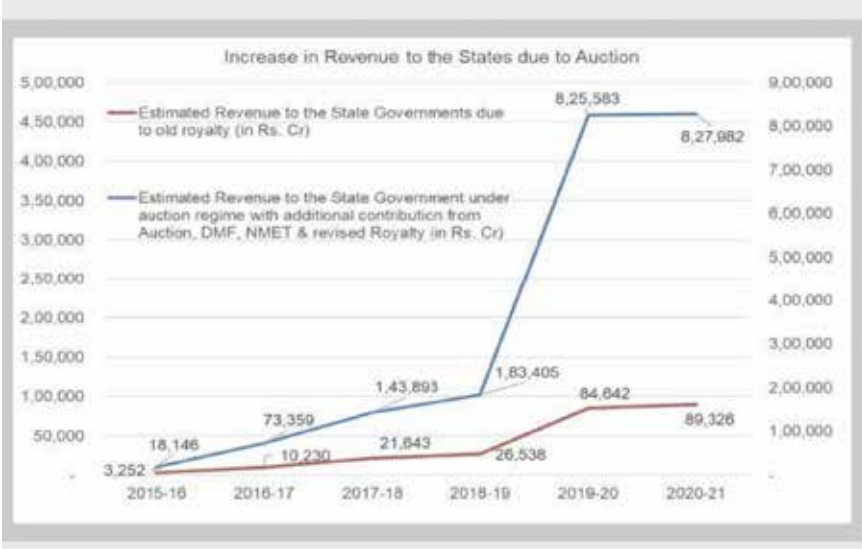

- खनन प्रभावित क्षेत्र के लोगों के कल्याण के लिए 600 जिलों में डीएमएफ की स्थापना की गई और वित्त पोषण के अपने स्थायी स्रोत से यह सभी खनन राज्यों के खनन प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।

- एनएमईटी देश की खनन संपदा की सही मात्रा निर्धारित करने के लिए तीव्र और विशेष गवेषण की सुविधा प्रदान कर रहा है।

2016 के संशोधन के निहितार्थ

- वैध व्यापार लेनदेन की सुविधा के लिए नीलामी के अलावा अन्य प्रदत्त कैप्टिव खनन पट्टों के हस्तांतरण का प्रावधान।
- इसके दायरे को बढ़ाने के उद्देश्य से संशोधन ने 'पट्टा क्षेत्र' को भी पुनर्परिभाषित किया।

> **खनिजों के उत्पादन और इन खनिजों के देश में ही प्रसंस्करण की दिशा में देश की आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ बनाने पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।**
>
> -प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

ख. 2020 के संशोधन के निहितार्थ

- जो खनन पट्टे मार्च 2020 में समाप्त हो गए थे उन्हें समय पर नीलाम किया गया और निर्बाध रूप से चालू किया गया। सभी वैध मंजूरियां, अनुमोदन आदि सफल बोलीदाताओं के पास निहित थे ताकि वे समय पर खनन प्रचालन शुरू कर सकें।

ग. 2021 संशोधन के निहितार्थ

कैप्टिव और मर्चेंट दोनों के बीच का अंतर समाप्त किया गया गया

- कैप्टिव खनन में अपेक्षाकृत कम खनन होता है। अंतिम-उपयोग प्रतिबंध हटाकर खानों की नीलामी करने से अधिक से अधिक खनन सुनिश्चित होगी।
- कैप्टिव खनिज पट्टाधारी द्वारा खनिज की बिक्री से राज्यों को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।
- यह खानों के आसपास उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करेगा जो आमतौर पर दूरस्थ स्थानों में स्थित होते हैं।

10(क) 2(ब) के मामलों का समाधान किया जायेगा और पुनः आबंटन किया जायेगा

- ऐसे मामले नीलामी व्यवस्था के लिए कालभ्रमित थे।
- नीलामी के लिए अब और ब्लॉकें उपलब्ध हैं। यह नीलामी प्रीमियम के मामले में राज्यों को राजस्व में वृद्धि करेगा
- 1166 मिलियन टन (एमटी) से अधिक लौह अयस्क, 4825 मीट्रिक टन चूना पत्थर, 46 मीट्रिक टन बॉक्साइट, 2.6 मीट्रिक टन सोना अयस्क और 15.6 मीट्रिक टन मैंगनीज अयस्क के संसाधन नीलामी के लिए निकाले गए।

“खनन कार्यों” के स्थान पर “उत्पादन और प्रेषण” को रखना

- इससे खानों से उत्पादन और प्रेषण की समयबद्ध शुरुआत और निरंतरता सुनिश्चित होगी।
- बाजार में खनिजों की उपलब्धता को बढ़ावा देगा ।

मंजजखण्ड ताम्र परियोजना भूमिगत विस्तार परियोजना ने 240mRL पर खान के उत्तर और दक्षिण खंड को जोड़ने वाला एक विशाल कीर्तिमान स्थापित किया है

सरकारी कंपनियों के गैर-उत्पादक ब्लॉकों का पुन: आवंटन

- उत्पादन शुरू करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने के फलस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के स्वामित्व वाली खानों द्वारा उत्पादन में तेजी आएगी।
- यह राज्य सरकार के लिए अतिरिक्त राजस्व सुनिश्चित करेगी।

- **समाप्त हो चुकी खानों की वैधानिक मंजूरी की वैधता और हस्तांतरण**
- इससे पट्टाधारक के बदलने के बावजूद खनन कार्यों और उत्पादन में निरंतरता सुनिश्चित होगी।
- यह इस प्रकार की खानों के संबंध में पहले से प्रदत्त मंजूरी प्राप्त करने की पुनरावर्ती और समयसाध्य अनिवार्यता को दूर करेगा।

खनिज रियायत का हस्तांतरण

- ऐसे पट्टेदार जो अपनी वित्तीय स्थिति या किसी अन्य कारण से खनन में रुचि नहीं रखते, वे अपनी खानों को किसी ऐसे व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकते हैं जो खनन में रुचि रखता है।
- ऐसा करने से पट्टाधारक बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पास खान गिरवी रख सकेगा।
- हस्तांतरण में प्रतिबंध हटाने से खनन क्षेत्र में निवेश और नई प्रौद्योगिकी आएंगी।

खनिज गवेषण को बढ़ावा

- यह गवेषण की गति बढ़ाएगा और सरकारी और निजी एजेंसी को समान अवसर प्रदान करके खनिज गवेषण में उन्नत प्रौद्योगिकी लाएगा।

- एनएमईटी को सार्वजनिक और निजी संस्थाओं को शामिल करके गवेषण में तेजी लाने के लिए स्वायत्त निकाय बनाया जाएगा।
- अनवरत पूर्वेक्षण लाइसेंस-सह-खनन पटटा के अंतर्गत, गवेषण गतिविधि को खनन के साथ निर्बाध रूप से जोड़ा गया है।

डीएमएफ का बेहतर क्रियान्वयन

- प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर डीएमएफ निधि खर्च करने और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए धन उपलब्ध कराने पर अधिक केंद्रित।
- यह डीएमएफ की शासी परिषद में माननीय संसद सदस्यों का नामांकन सुनिश्चित करेगा।

राज्य सरकारों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों के मामले में केंद्र सरकार द्वारा खनिज रियायतों की नीलामी

- राज्य सरकारों के परामर्श से समय-सीमा निर्धारित करना।
- खनिजों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु, अधिक ब्लॉकों को नियमित आधार पर नीलाम करने की आवश्यकता है।
- राज्य सरकारों को राजस्व प्राप्त होगा।
- खनिज कई उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में काम में आते हैं जो त्वरित औद्योगीकरण और अवसंरचनात्मक विकास का

पथ प्रशस्त करता है। इससे अर्थव्यवस्था को सतत विकास के पथ पर आगे बढ़ने में सुविधा मिलेगी।

- ग्रामीण क्षेत्रों में खान और खनिज क्षेत्र एक प्रमुख रोज़गार दाता है और एक आवश्यक सेवा के रूप में इसकी भूमिका को बार-बार स्वीकार किया गया है।
- खान मंत्रालय महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन को दोगुना करने की दृष्टि (विज़न) के साथ काम कर रहा है जिससे आयात निर्भरता घटाई जा सके, खनिजों का पारदर्शी और सतत रूप से आवंटन और विनियमन किया जा सके। यह क्षेत्र आत्म-निर्भर भारत अभियान का अभिन्न अंग है।
- खनन एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि है जिस वजह से यह दूर -दराज और जनजातीय क्षेत्रों में रोज़गार सृजित करता है।
- खनन क्षेत्र में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा करने की क्षमता है। भारतीय उद्योगों और समाज के लिए कच्चे माल का स्रोत होने के नाते, खनन आत्मनिर्भर भारत के साथ-साथ भारत के लिए 5 ट्रिलियन अमरीकी डालर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए महत्वपूर्ण है।

खनिज खनन में अब कंपनियां खनन कार्य के साथ-साथ गवेषण भी कर सकती हैं। इस क्षेत्र से परिचित लोग इन फैसलों के दूरगामी परिणामों से भली-भांति अवगत हैं।

-प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

अध्याय – 6

हितधारकों (स्टेकहोल्डर) द्वारा प्रशंसा

> प्रधानमंत्री मोदी खनन क्षेत्र को रेड टेप से रेड कार्पेट की ओर ले जा रहे हैं।
>
> - अनिल अग्रवाल, अध्यक्ष, वेदांता

हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का दरिबा स्मेल्टिंग परिसर, राजसामंद

ये सभी कदम व्यापार सुगमता (ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस) को न केवल बेहतर बनाएंगें बल्कि धातुओं और खनन उद्योग की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में भी महत्वपूर्ण योगदान करेंगे।

- सतीश पाई, प्रबंध निदेशक, हिंडाल्को

खनन क्षेत्र को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाना भारत के लिए महत्वपूर्ण है। यह उद्योग देश की ऊर्जा और कच्चे माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

- चंद्रजीत बनर्जी, महानिदेशक, सीआईआई

भारत कोयला, बॉक्साइट और अन्य संसाधनों के पर्याप्त भंडारों से परिपूर्ण है और ये सुधार भारत में इन महत्वपूर्ण संसाधनों के उत्पादन को प्रोत्साहित करेंगे।

- अजय कपूर सीईओ, वेदांता एल्यूमिनियम और ऊर्जा

पूर्व में दी गई मंजूरियों के साथ खनिज ब्लॉकों की नीलामी सरकार द्वारा किया गया एक और महत्वपूर्ण सुधार है। यह खनन और धातु क्षेत्र में बड़े निवेश को आकर्षित करेगा जिसमें देश को आत्मनिर्भर बनाने, आयात बिलों को 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक कम करने और आजीविका के कई अवसर पैदा करने की क्षमता है।

- राहुल शर्मा, सह-अध्यक्ष, फिक्की खनन समिति

मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि हमारे कई सुझावों पर सकारात्मक रूप से विचार किया गया है... सुधारों का वर्तमान सेट निश्चित रूप से व्यापार सुगमता (ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस) को कारगर बनाने और बढ़ाने वाला है। मैं बिल का उसके वर्तमान स्वरूप में समर्थन करता हूं।

- श्री पिनाकी मिश्रा, सांसद बीजद

19.03.2021 को एमएमडीआर (संशोधन) विधेयक 2021 पर चर्चा के दौरान

हम खनिज सम्पन्न क्षेत्रों के लोगों को समृद्ध बनाने के उद्देश्य का अनुसरण कर रहे हैं।

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) के पंचपटमली बॉक्साइट खानों में खनन प्रचालन

अध्याय – 7

मीडिया कवरेज

Date: 20-03-2021 **Publication**: Amar Ujala **Edition**: Lucknow

खनन में निजी क्षेत्र को अनुमति से 55 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार

खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन बिल लोकसभा से पास

Date: 23-03-2021 **Publication**: Millennium Post **Edition**: New Delhi

Parliament passes Bill to boost private investment in mining

FINANCIAL EXPRESS HOME BUDGET 2021 MARKETS STOCKS INDUSTRY ECONOMY MONEY AUTO INFRA SME BRANDWAGON US STOCKS

Stakeholders, analysts hail mining reforms

By FE Bureau | January 15, 2021 8:14 AM

Apart from freeing over 500 blocks stuck in legacy issues, the Cabinet is learnt to have also gave the go-ahead for reallocation of several non-producing blocks of state-run companies.

BusinessLine

Opinion

Bolstering the ongoing mining reforms

Rajesh Chadha/Ganesh Sivamani | | Updated on March 04, 2021

Transparency apart, the auctions must provide enough revenues for the exchequer and incentives to industry

Date: 20-03-2021 Publication: The Times of India

LS okays bill on mining reforms

Union minister Pralhad Joshi saying the changes will help generate "55 lakh direct and indirect employment" by allowing the entry of private enterprise and enhanced technology in mining activities.

Date: 14-01-2021 Publication: The Times of India Edition: Kolkata

Mining reforms cleared to pave way for auction of 500 mines

TIMES NEWS NETWORK

Date: 20-03-2021 Publication: Prabhat Khabar Edition: Ranchi

खानों की नीलामी केंद्र करेगा तो भी पूरा पैसा राज्यों को : मंत्री

लोकसभा में पास हुआ खान और खनिज संशोधन विधेयक

अंगुल ओडिशा में कैप्टिव विद्युत् संयंत्र, नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (नालको)

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,
भारत सरकार